

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-20/2021- 3385 व०प०, राँची, दिनांक- 18/11/2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय :- पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र में बसे गाँव के पुनर्वास हेतु मेदिनीनगर वन प्रमंडल के पोलपोल कालान पी०एफ० में 133.64 हे० अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-F.No. 8-35/2021-FC दिनांक-28.10.2022


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1142 दिनांक-03.11.2022 से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


18/11/2022
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-20/2021- 3365 व०प०, राँची, दिनांक- 18/11/2022

प्रतिलिपि-वन उप महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची-834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।


18/11/2022
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-20/2021- 3365 व०प०, राँची, दिनांक- 18/11/2022

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर, पलामू-822101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18/11/2022
उप परामर्शी।

o/c



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 1142

दिनांक:- 03.11.2022

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :-

पलामू व्याघ्र आरक्ष्य के कोर क्षेत्र में बसे गाँव के पुर्नवास हेतु मेदिनीनगर वन प्रमंडल के पोलपोल कालान पी0 एफ0 में 133.64 हे0 अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- 8-35/2021-FC दिनांक -28.10.2022 -पु. - 42/प.

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- 8-35/2021-FC दिनांक -28.10.2022 द्वारा विषगत परियोजना प्रस्ताव पर राज्य सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2022 के आलोक में स्पष्ट मंतव्य मांग की गई है।

भारत सरकार द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 872 दिनांक 03.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छाओं का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

Sl. No	Query	Compliance
i.	<p>"with regards to the relocation site proposed for Lato village in Medininagar Forest Division, a clarification needs to be obtained from the State Government whether the site falls within the ambit of parameters fixed by Hon'ble Supreme Court in its order dated 3.06.2022 so that the matter may be decided in the next FAC meeting".</p> <p>In view of above, the State Government is requested to furnish information/clarification as per the observation of F AC for further consideration of the proposal.</p>	<p>वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा सूचित किया गया है कि "This is to bring in your kind attention that, the matter of diversion of 133.64 Ha. of forest land at Polpol PF, Kundri Range, Medininagar Forest Division, was taken up during the meeting of FAC, MoEF&CC, Gol on 21st of Sep, 2022. After discussion it was decided to further clarify with State Government whether the proposed resettlement site falls within the ambit of parameters fixed by Hon'ble Supreme Court in its order dated 03.06.2022."</p> <p><i>" In this regard it is to state that the proposed resettlement site at Polpol, Medininagar forest division partially falls within 1 km radius of Palamu Wildlife Sanctuary while part of it (28.22 Ha) falls beyond 1 Km boundary. A total of 21.35 Ha of land is required for construction of homestead and community facilities, which will be done on the portion falling beyond 1 Km from boundary of Palamu Wildlife Sanctuary. construction activity of any kind shall be done of portion of land falling within 1 Km boundary of the sanctuary. The map of the proposed land showing area falling within and outside 1 km from sanctuary boundary shall be attached."</i></p>

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 4899
04 NOV 2022
झारखण्ड, राँची।

कि. ल. जोरिदास

श्री जल

पुष्पा मोदी
7/11/2022

10053
9/11/2022

No

46

भारत सरकार द्वारा पृच्छित बिन्दु का वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर से प्रा अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य संरक्षक (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन




03.11.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. D.

03.11.22



कार्यालय: वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in

दूरभाष / Phone: 06562224953, 8987790232

पत्रांक - 872

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

मेदिनीनगर, दिनांक 03.11.2022

विषय :- Proposal for non-forestry use of 133.64 ha of forest land in Polpol Kalan PF in Medininagar Forest Division for relocation of villages from Palamu Tiger Reserv.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक 21.09.2022 को सपन्न Forest Advisory Committee की बैठक में पलामू टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित गाँव के पुनर्वास के लिए चयनित पोलपोल कला पी.एफ. के सम्बन्ध में यह पृच्छा की गयी थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 03.06.2022 को पारित आदेश से सम्बन्धित भूमि प्रभावित हो रही है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जवाब समर्पित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण उप निदेशक, दक्षिणी प्रमण्डल, पलामू टाईगर रिजर्व द्वारा जवाब समर्पित किया गया जो इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी उप निदेशक, दक्षिणी प्रमण्डल, पलामू टाईगर रिजर्व के Clarification से पूर्णतः सहमत है। भवदीय से अनुरोध है कि इस पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु. :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

03/11/22


वन संरक्षक

प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Kaimuddin

03.11.2022

44



**Office of Deputy Director, Palamau Tiger Project, South Division,
Medininagar**

Ph.No.-06562 295573

E-mail : dfo-ptrsouth@gov.in

Letter No. 1061

Date : 03/11/22

To,
The Conservator of Forests,
Medininagar Forest Circle,
Medininagar.

Sub : Clarification regarding proposal for non-forestry use of 133.64 Ha of forest land for Polpol Kalan PF of Kundri Range, Medininagar Forest Division for Relocation of Kujrum, Latu and other villages from Palamau Tiger Reserve, Daltonganj, Jharkhand - reg.

Sir,
This is to bring in your kind attention that, the matter of diversion of 133.64 Ha. of forest land at Polpol PF, Kundri Range, Medininagar Forest Division, was taken up during the meeting of FAC, MoEF&CC, GoI on 21st of Sep, 2022. After discussion it was decided to further clarify with State Government whether the proposed resettlement site falls within the ambit of parameters fixed by Hon'ble Supreme Court in its order dated 03.06.2022.

In this regard it is to state that the proposed resettlement site at Polpol, Medininagar forest division partially falls within 1 km radius of Palamu Wildlife Sanctuary while part of it (28.22 Ha) falls beyond 1 Km boundary. A total of 21.35 Ha of land is required for construction of homestead and community facilities, which will be done on the portion falling beyond 1 Km from boundary of Palamu Wildlife Sanctuary. No construction activity of any kind shall be done of portion of land falling within 1 Km boundary of the sanctuary. The map of the proposed land showing area falling within and outside 1 km from sanctuary area is attached herewith.

Thank You.

Encl : As stated.

Yours Sincerely

Mukesh Kumar, I.F.S.

Deputy Director, South Division,
Palamau Tiger Reserve, Medininagar


Memo No : 1061

Date : 03.11.2022

Copy forwarded to : Sri Charanjeet Singh, Scientist D, FC Division, MoEF&CC, GoI.


Yours Sincerely

Mukesh Kumar, I.F.S.



Prepared by- Manish Kumar Bakshi, PalamauTR

Map of No Permanent Construction Zone Within 1 km from Palamau Wildlife Sanctuary, Betla National Park & Mahuadantar Wolf Sanctuary



Legend

- Polpol Kalan Relocation Site
- Construction Zone (28.22 ha)
- No Construction Zone (105.42 ha)

Betla National Park
 Palamau Wildlife Sanctuary
 Mahuadantar Wolf Sanctuary
 River/ Nal
 No Construction Zone

Munish Kumar Bakshi
 03/11/20

Dr. Director, Palamau Tiger Reserve